

UPBH010049252020



न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(ई०सी० एक्ट), बहराइच।

मुकदमा संख्या-966/2020

सरकार----

-प्रति-

--रमेश चन्द्र मिश्रा आदि

अपराध संख्या-21/2019

धारा-323, 332, 504, 506 भा०दं०सं० व

135 विद्युत अधिनियम 2003,

थाना-को० नगर,जनपद-बहराइच।

14-03-2026

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अभियुक्तगण रमेश चन्द्र मिश्रा व सरोजनी प्रजापति मय विद्वान अधिवक्ता सहित उपस्थित। अभियुक्तगण द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण ने स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार किया। अतः अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लिया गया।

विद्युत विभाग की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा विद्युत की चोरी की गयी है। विद्युत विभाग के अधिवक्ता द्वारा शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण शुक्ल जमा नहीं किये जाने का कथन किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के ऊपर विद्युत चोरी किये जाने का अभियोग है। अभियुक्तगण द्वारा स्वेच्छापूर्वक अपराध स्वीकार करने का कथन किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से अभियुक्तगण का यह पहला अपराध प्रतीत होता है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभियुक्तगण उपरोक्त की स्वैच्छिक संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए उसे अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

प्रत्येक अभियुक्त रमेश चन्द्र मिश्रा व सरोजनी प्रजापति को धारा-135 विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत 4,000/- (चार हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न देने पर उसे दस दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्तगण द्वारा यदि आज अर्थदण्ड अदा नहीं किया जाता है तो उसका सजायाबी वारण्ट बनाकर जिला कारागार, बहराइच प्रेषित किया जाये।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विद्युत विभाग मामले को उपशमन किये जाने के उपरान्त अन्य देयता के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र रहेगा। शेष अभियुक्त अजय कुमार मिश्रा की मृत्यु हो जाने के कारण अभियुक्त के विरुद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की जा चुकी है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(सुनील प्रसाद)

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश(ई०सी० एक्ट),

बहराइच।

दिनांक:14.03.2026

J.O. Code-UP6414